10

ग्रामीण आजीविका एवं पलायन का अंतर्संबंध: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अमित आठ्या

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.121-127
ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ आजीविका का मुख्य आधार कृषि एवं कृषि-आधारित गतिविधियाँ हैं। इन आजीविकाओं की विशेषता प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, परंपरागत कौशल का उपयोग और मौसमी अस्थिरता है, जिसके कारण ग्रामीण परिवार निम्न आय, आर्थिक असुरक्षा और बेरोज़गारी जैसी समस्याओं से जूझते हैं। परिणामस्वरूप, पलायन विशेषकर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर भारत में एक व्यापक प्रवृत्ति बन गई है। पलायन के प्रमुख कारणों में सीमित रोजगार अवसर, भूमिहीनता, गरीबी, प्राकृतिक आपदाएँ, सामाजिक असमानताएँ तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी शामिल हैं। यद्यपि पलायन से प्रेषण राशि द्वारा आय में वृद्धि होती है, किंतु यह ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमशक्ति के ह्रास और शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़, प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्थित शहरीकरण जैसी समस्याएँ उत्पन्न करता है। इस चुनौती का समाधान कृषि और गैर-कृषि रोजगार अवसरों के सृजन, कौशल विकास, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन, तथा सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा और एनआरएलएम) के प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है। आधारभूत सुविधाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः ग्रामीण आजीविका का सुदृढ़ीकरण ही स्थायी समाधान है, जो ग्रामीण समाज की स्थिरता और देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण रोजगार, प्राकृतिक संसाधन, कृषि-आधारित गतिविधियाँ, गैर-कृषि आजीविका

प्रस्तावना

ग्रामीण जीवन का आधार आजीविका है, जिसे उन साधनों, संसाधनों और गतिविधियों का समुच्चय माना जाता है, जिनके माध्यम से ग्रामीण परिवार अपने जीवन-निर्वाह तथा भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं (मीना, 2018)। ग्रामीण रोजगार उन अवसरों को निरूपित करता है जिनसे आय अथवा मजदूरी प्राप्त होती है। यह रोजगार स्वरूप में विविध हो सकता है जैसे - नियमित मजदूरी, दैनिक कार्य अनुसार मजदूरी, कृषि-चक्र आधारित मौसमी कार्य अथवा लघु व्यापार और छोटे उद्यमों के रूप में स्वरोजगार (शर्मा, 2016) आदि। ग्रामीण आजीविका का प्रमुख आधार प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें भूमि, जल, वन और पशुधन मुख्य हैं (देव, 2019)। अधिकांश ग्रामीण परिवार आज भी कृषि और कृषि-आधारित गतिविधियों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-कृषि आजीविका विकल्प जैसे- लघु व्यापार, दर्ज़ीगिरी, लोहारगीरी, बढ़ईगिरी, सैलून सेवाएँ, ग्राहक सेवा केंद्र, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, बुनाई-कढ़ाई तथा लकड़ी एवं बांस उत्पाद निर्माणग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। विविध प्रकार के दिहाड़ी श्रम एवं अन्य स्थानीय रोजगार अवसर भी ग्रामीण परिवारों की आय वृद्धि में सहायक होते हैं। इस प्रकार, ग्रामीण आजीविका केवल जीविका का साधन न होकर, ग्रामीण समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक धरोहर का भी अभिन्न अंग है।

ग्रामीण आजीविका की विशेषताएँ

ग्रामीण आजीविका की मुख्य विशेषता यह है कि वे परंपरागत प्रथाओं और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती हैं, जिनमें परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं। परंतु इनकी सबसे बड़ी सीमा इनका मौसमी और अस्थिर होना है (शर्मा, 2016), जिसके कारण आय कम, आर्थिक असुरक्षा अधिक और स्थायित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। इसे बिन्दुवार विस्तृत रूप से समझते हैं:

- **प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता**- भारत में ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार भूमि, जल, वन एवं पशुधन जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं। ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुपालन तथा वनोपज पर निर्भर करता है। साथ ही, जलवायु परिस्थितियाँ, वर्षा के पैटर्न और प्राकृतिक आपदाएँ ग्रामीण आजीविका की स्थिरता एवं निरंतरता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।

- **परंपरागत एवं स्थानीय कौशल का उपयोग**- ग्रामीण समुदाय अपनी आजीविका बनाए रखने हेतु पारंपरिक प्रणालियों और स्थानीय कौशलों का उपयोग करते हैं। इनमें पारंपरिक खेती की विधियाँ, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन तथा बांस एवं लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण शामिल है। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक और व्यावसायिक धरोहर संरक्षित रहती है।

- **मौसमी एवं अस्थिरता**- इसके अलावा, कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियाँ स्वभावतः मौसमी होती हैं और वर्षा तथा मौसम में उतार-चढ़ाव पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। परिणामस्वरूप, फसल की विफलता या अपर्याप्त वर्षा जैसी परिस्थितियाँ आय एवं रोजगार के अवसरों में गंभीर व्यवधान उत्पन्न करती हैं। इस संदर्भ में, ग्रामीण आजीविका को प्रायः अस्थिर और असुरक्षित माना जाता है।

- **परिवार-आधारित श्रम**- ग्रामीण आजीविका की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आय अर्जन गतिविधियों में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से भाग लेते हैं (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, 2021)। पुरुषों के साथ-साथ महिलाएँ और बच्चे भी खेती, पशुपालन, घर-आधारित उद्यमों तथा हस्तशिल्प में सक्रिय योगदान करते हैं। इस प्रकार की समन्वित भागीदारी, जिसमें श्रम और जिम्मेदारियों का बंटवारा कर संवहनीय आजीविका को बनाए रखा जाता है।

- **कम आय और असुरक्षा**- ग्रामीण रोजगार प्रायः असंगठित, अनौपचारिक तथा अल्पकालिक प्रकृति का होता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण परिवारों की आय का स्तर शहरी परिवारों की तुलना में काफी कम रहता है। साथ ही, सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा की अधिकता गरीबी की व्यापकता को और गहरा करती है तथा पलायन को बढ़ावा देती है। पलायन भारत के गाँवों की एक व्यापक तथा गंभीर प्रवृत्ति है, जिससे ग्रामीण आजीविका की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पलायन से आशय

पलायन को उन व्यक्तियों या परिवारों की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अपने स्थायी निवास स्थान से किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र में अस्थायी या स्थायी रूप से स्थानांतरित होते हैं (चंद, 2015)। जब यह स्थानांतरण परिस्थितिवश या आजीविका एवं जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं के कारण होता है, तो इसे "पलायन" कहा जाता है। ग्रामीण भारत के संदर्भ में, पलायन प्रायः रोजगार के अवसरों की तलाश, आय वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, तथा जीवन स्तर में सुधार की आकांक्षा से जुड़ा होता है। तथापि, पलायन केवल अवसर खोजने का परिणाम नहीं माना जा सकता; यह अक्सर गहरी संरचनात्मक बाध्यताओं का प्रतिबिंब भी होता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता, वर्षा पर आधारित कृषि पर निर्भरता, भूमिहीनता, गरीबी, ऋणग्रस्तता, और जमी हुई सामाजिक असमानताएँ। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन एक गंभीर प्रवृत्ति है, जिसने न केवल ग्रामीण समाज की संरचना और पारिवारिक ताने-बाने को प्रभावित किया है, बल्कि शहरी क्षेत्रों पर भी अत्यधिक जनसंख्या दबाव, रोजगार की प्रतिस्पर्धा, अव्यवस्थित बस्तियों का विस्तार तथा संसाधनों पर असमान बोझ जैसी जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं।

पलायन के प्रकार

* ग्रामीण से शहरी पलायन- इसमें व्यक्तियों या परिवारों का गांवों से शहरो की ओर स्थानांतरण शामिल है, मुख्यतः बेहतर रोजगार अवसर, उच्च आय, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच प्राप्त के लिए किया जाता है।

* ग्रामीण से ग्रामीण पलायन- ग्रामीण से ग्रामीण पलायन तब होता है जब व्यक्ति या परिवार किसी अन्य गांव में स्थानांतरित होते हैं, आमतौर पर इस तरह का पलायन कृषि मजदूरी, मौसमी कार्य या अन्य आजीविका-संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

* मौसमी पलायन- मौसमी पलायन का तात्पर्य विशेष अवधि के लिए रोजगार हेतु अस्थायी स्थानांतरण से है, जैसे ईंट-भट्टा में कार्य करना, फसल कटाई के मौसम में श्रम करना, या अन्य समय-सीमित कार्य।

* स्थायी पलायन- स्थायी पलायन में व्यक्तियों या परिवारों का अपने मूल गांव या निवास स्थान से पूर्ण रूप से स्थानांतरण शामिल होता है, यह पलायन अक्सर स्थायी रोजगार, बेहतर जीवन स्तर, या सामाजिक-आर्थिक दबावों के कारण किया जाता है।

पलायन के प्रमुख कारण

भारत में पलायन विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है, जिन्हें मुख्य रूप से पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **आर्थिक कारण** – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सीमित, कृषि पर वर्षा निर्भर, भूमिहीनता और अस्थिर आय के कारण लोग बेहतर आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। गरीबी और ऋणग्रस्तता भी इसे बढ़ावा देती हैं।

- **प्राकृतिक कारण** – सूखा, बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएँ तथा जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित कर ग्रामीणों को वैकल्पिक आजीविका की तलाश पर मजबूर करते हैं।

- **सामाजिक कारण** – विवाह, परिवारिक जुड़ाव, जातीय या सामाजिक भेदभाव व असमानताएँ लोगों को अपने स्थान छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं।

- **राजनीतिक कारण** – युद्ध, दंगे, सांप्रदायिक तनाव, आतंकवाद या शासन असंतुलन सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर करता है।

- **सुविधाओं की कमी** – शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और अन्य सेवाओं की कमी ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करती है (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, 2021)।

पलायन के प्रभाव

पलायन का प्रभाव द्विआयामी (सकारात्मक & नकारात्मक) होता है, जो व्यक्ति, परिवार, ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र, सभी पर पड़ता है। मुख्यतः

I. ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव-

नकारात्मक: श्रमशक्ति (युवा वर्ग) का ह्रास होता है, कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पारिवारिक विघटन और सामाजिक संरचना में असंतुलन उत्पन्न होता है।

सकारात्मक: प्रेषण राशि (पलायनकर्ताओं के द्वारा कमा कर परिवार को भेजी गयी राशि) के माध्यम से आय में वृद्धि तथा ग्रामीण परिवारों की उपभोग क्षमता और निवेश में सुधार होता है।

II. शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव-

नकारात्मक: रोजगार की प्रतिस्पर्धा और अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार, झुग्गी-बस्तियों का विकास होता है और अव्यवस्थित शहरीकरण तथा संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव पड़ता है।

सकारात्मक: सस्ती श्रमशक्ति की उपलब्धता निरंतर रहती है तथा शहरी अर्थव्यवस्था में योगदान और विविधता बनी रहती है।

पलायनकर्ताओं पर प्रभाव- अवसर मिलने पर आय, शिक्षा एवं जीवनस्तर में सुधार होता है परंतु, अनेक बार शोषण, असुरक्षा, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ और सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण आजीविका और पलायन का अंतर्संबंध

भारत के ग्रामीण जीवन में आजीविका, रोजगार और पलायन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए तत्व हैं। ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा आज भी कृषि और कृषि-आधारित गतिविधियों पर निर्भर है, जो स्वभावतः मौसमी और अनिश्चित हैं। सीमांत भूमि, सिंचाई की कमी, कम उत्पादन और बाजार तक सीमित पहुँच के कारण ग्रामीण आजीविका अस्थिर बनी रहती है।

आजीविका के सीमित साधन ⟶ रोजगार की कमी ⟶ पलायन में वृद्धि ⟶ ग्रामीण श्रमशक्ति में कमी ⟶ कृषि उत्पादन पर असर ⟶ पुनः आजीविका संकट

रोजगार के सीमित अवसर, अधरोजगारी और अल्प आय की स्थिति लोगों को बेहतर आजीविका की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के लिए प्रेरित करती है। यह पलायन मुख्यतः आर्थिक असुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के असंतुलन का परिणाम है। पलायन के प्रभाव दोहरे होते हैं

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमशक्ति की कमी और सामाजिक संरचना का कमजोर होना, तथा शहरी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक दबाव और असंगठित श्रम बाजार का विस्तार। इस प्रकार ग्रामीण आजीविका की अस्थिरता, सीमित रोजगार और पलायन एक परस्पर निर्भर चक्र बनाते हैं।

ग्रामीण रोजगार और आजीविका संवर्धन के उपाय

सबसे पहले, कृषि और कृषि-आधारित आजीविका को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है (सिंह, 2017)। इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, फसल विविधीकरण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि की जा सकती है।

इसके साथ ही, ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के अवसर बढ़ाना भी आवश्यक है। हस्तशिल्प, हथकरघा, बुनकरी, ग्रामीण पर्यटन और लघु-मध्यम उद्योग को प्रोत्साहित करके गाँवों में वैकल्पिक रोजगार सृजित किया जा सकता है। कौशल विकास और स्वरोजगार भी पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर दिए जाने चाहिए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जैसे संस्थानों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं, ऋण और वित्तीय सहायता तक उनकी पहुँच आसान बनाना भी जरूरी है।

सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2020) और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए।

साथ ही, आधारभूत सुविधाओं का विकास आवश्यक है। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता से ग्रामीण लोग अपने गाँव में ही जीवनयापन करना पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक संरक्षण, जैसे पेंशन, बीमा, खाद्यान्न सुरक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण, ग्रामीणों की विवशता को कम कर पलायन रोकने में सहायक होंगे।

निष्कर्ष

ग्रामीण आजीविका का सुदृढ़ीकरण केवल ग्रामीण समाज की स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करने के लिए भी अनिवार्य है। इस प्रकार, ग्रामीण आजीविका और रोजगार सृजन के समग्र उपाय ग्रामीण समाज को स्थिर बनाए रखने, शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करने और देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ग्रामीण आजीविका और रोजगार सृजन के माध्यम से

पलायन को रोकना अत्यंत आवश्यक है। इस चुनौती का समाधान कृषि और गैर-कृषि रोजगार अवसरों के सृजन, कौशल विकास, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन, तथा सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा और एनआरएलएम) के प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है। आधारभूत सुविधाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः ग्रामीण आजीविका का सुदृढ़ीकरण ही स्थायी समाधान है, जो ग्रामीण समाज की स्थिरता और देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

सन्दर्भ

- चंद, आर.सी. (2015). भारत में प्रवास और ग्रामीण विकास. कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी।
- शर्मा, एच.सी. (2016). ग्रामीण रोजगार और आजीविका. आलोक पब्लिकेशन।
- सिंह, के. (2017). ग्रामीण विकास: सिद्धांत, नीतियाँ और प्रबंधन. सेज पब्लिकेशन।
- मीना, एस.एन. (2018). भारत में ग्रामीण विकास. राजकमल प्रकाशन।
- देव, एस. महेंद्र. (2019). भारत में ग्रामीण आजीविकाएँ: चुनौतियाँ और अवसर. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) एवं ग्रामीण आजीविकाएँ।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (2021). स्व-सहायता समूह और ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण।